दिनांक 20/03/2020 को लघु सचिवालय के सभा कक्ष, कमरा न0 203 में कोरोना वायरस से बचाव के बारे हुई बैठक की कार्यवाही।

जैसा कि विदित है कि पूरे विश्व में कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। जिससे बचाव के लिए उपायुक्त महोदय की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में उप–मण्डल अधिकारी (ना0) जगाधरी/बिलासपुर/रादौर, नगराधीश यमुनानगर, संयुक्त आयुक्त, नगर निगम यमुनानगर–जगाधरी, जिला राजस्व अधिकारी, यमुनानगर, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी यमुनानगर, सिविल सर्जन यमुनानगर, जिला सूचना अधिकारी व जिला के अन्य सम्बन्धित विभागो के अधिकारियों ने भाग लिया। सर्व प्रथम मंच का संचालन सिविल सर्जन यमुनानगर ने करते हुए बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों को बताया है कि विश्व में कोरोना वायरस घार चरणो में असर कर रहा है परन्तु भारत में यह अभी दूसरे चरण में है और यदि लोगों को इसके प्रति जागरूक करके बाहर व किसी भी स्थान पर एकत्रित होने से रोक दिया जाता है तो इस वायरस के फैलाव को तृतीय स्टेज में प्रवेश करने से रोका जा सकता है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि कोरोना के विषाणु किसी भी स्थान जैसे कि मेज, डोर हैंडल व अन्य समतल सतहों पर 24 से 48 घटें तक जीवित रहता है तथा कपडो पर 8 से 16 घटें तक जीवित रहता है। यह विषाणु हवा में नहीं फैलता है बल्कि छूने से या एक मीटर से कम दूरी पर छींकने व खांसने से फैलता है। इसलिए इसका सबसे बेहतर बचाव यह है कि भीड़ में न जाया जाए, मुंह,नाक व आंखो(MEN) को न छुआ जाए तथा हाथो को बार–2 साबुन इत्यादि से धोया जाये तथा सोड़ियम हाईपोक्लोराईड (1%) मिश्रण के घोल से फर्श की सफाई व दरवाजों के हैंडल इत्यादि की सफाई की जाये। इस के घोल की गुणवत्ता के बारे में बताते हुए कहा कि यदि डोर हैंडल, फर्श इत्यादि की सफाई करनी हो तो 1 लिटर पानी में 30 ग्राम सोड़ियम हाईपोक्लोराईड (1%) का मिश्रण तैयार किया जाये। अंत में सिविल सर्जन यमुनानगर ने यह सुझाव दिया कि जिन स्थानों पर अधिक भीड़ एकत्रित होती हो जैसे कि सिनेमाहॉल, जिम, नाईट क्लब इत्यादि को दिनांक 31/03/2020 तक बंद किया जाना उचित होगा। इस पर अध्यक्ष महोदय ने बताया कि सिनेमा हाल, नाईट क्लब, जिम इत्यादि को बंद करने के आदेश पहले से ही जारी किये जा चुके है।

अध्यक्ष महोदय ने कोरोना वारयस के संकमण से बचाव के लिए परिस्थिति अनुसार उचित कारगार कदम उठाने हेतु नगराधीश यमुनानगर 01732–237806, 8930097771 को लघु सचिवालय में तथा उप–मण्डल अधिकारी (ना0) जगाधरी 01732–237805, 8683845145, उप–मण्डल अधिकारी (ना0) रादौर, 01732–283412, 9812834004 उप–मण्डल अधिकारी (ना0) बिलासपुर 01735–274890, 9316262600, को अपने–2 अधिकार क्षेत्र में, संयुक्त आयुक्त, नगर निगम यमुनानगर–जगाधरी मो0 8295861396 को नगरनिगम क्षेत्र में व जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी यमुनानगर 01732–237807, 9416240333, को ग्रामीण क्षेत्र के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

उप–मण्डल अधिकारी(ना0) बिलासपुर ने बैठक के दौरान बताया कि सभी स्कूलों में दाखिले व अध्यापको तथा अभिभावको के मध्य होने वाली बैठको को दिनांक 31/03/2020 तक स्थगित किया जाना उचित होगा तथा उपायुक्त कार्यालय की फुटकर शाखा के माध्यम से दी गई अनुमति जिसमें भीड़ एकत्रित होती हो उसको भी रद्द किया जाना उचित होगा। जिस पर अध्यक्ष महोदय ने शिक्षा विभाग की ओर से उपस्थित जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिये कि वे सुनिश्चित करें कि इस प्रकार की कोई बैठक या दाखिला इत्यादि मे भीड़ न हो तथा दिनांक 31/03/2020 तक स्थगित किया जाना ही ठीक होगा। इसी प्रकार अध्यक्ष महोदय बैठक में उपस्थित फुटकर सहायक को निर्देश दिये कि वह इस प्रकार की यदि कोई अनुमति जारी की गई हो तो उनसे रद्द करवाने के आदेश पारित करवाना सुनिश्चित करें। सिविल सर्जन यमुनानगर ने मास्क के बारे में बताते हुए कहा कि उनके द्वारा ऐसे मास्क तैयार करवाये गये

Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner

है जिनको 6 घंटे तक एक बार प्रयोग करने उपरांत अच्छी प्रकार से धो कर धूप में सुखाने व प्रैस करने उपरांत पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है।

कोरोना वायरस के खतरे के चलते मास्क की कमी व कालाबाजारी को मद्देनजर अध्यक्ष महोदय ने बैठक में उपस्थित अतिरिक्त उपायुक्त महोदया को कहा कि वे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत कार्यरत स्वयं सहायता समूह के माध्यम से मास्क तैयार करवाकर सभी कार्यालयों व सिविल सर्जन को आवश्यकता अनुसार उचित दरों पर उपलब्ध करवाये, जो आय का जरिया भी बनेगा तथा सभी को उचित दरों पर मास्क भी उपलब्ध हो सकेगें। इसके दर निर्धारित करने के लिए सिविल सर्जन, यमुनानगर की अध्यक्षता मे एके कमेटी का गठन किया गया जिसमे जिला कार्यकम प्रबंधक (हरियाणा राज्य ग्रामीण आजिविका मिशन, यमुनानगर) तथा लेखा अधिकारी कार्यालय सिविल सर्जन, यमुनानगर॰ सदस्य होगे। सिविल सर्जन यमुनानगर ने अध्यक्ष महोदय को बताया गया कि उनके द्वारा जिला में स्थित सभी अस्पतालों, वेंटिलेटर की सूची तैयार कर ली गई है जिस पर अध्यक्ष महोदय ने कहा कि यह सूची सम्बन्धित उप–मण्डल अधिकारी (ना0) के साथ सांझा की जाये। सिविल सर्जन यमुनानगर ने उपस्थित अधिकारियों को यह भी जानकारी दी कि कोरोना वायरस से बचाव से सम्बन्धित उपायो के बारे स्वास्थय विभाग से जारी की गई जानकारी को ही आगे सोशल मीडिया पर सांझा करें क्योंकि झूठी अफवाह फैलाना अपराध है और ऐसी कार्यवाही करने वाले के विरूद्ध हरियाणा एपिडेमिक डिसिस एक्ट 1987 की सम्बन्धिक धारा एवं भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 के तहत कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

अध्यक्ष महोदय ने नगर–निगम यमुनानगर की ओर से उपस्थित संयुक्त आयुक्त नगर निगम यमुनानगर–जगाधरी से पूछा कि आपके विभाग में कोरोना वायरस के चलते क्या–2 कार्यवाही की गई, इस पर संयुक्त आयुक्त नगर निगम यमुनानगर ने बताया कि आवश्यक दिशा–निर्देश जारी करे दिये गये है तथा लोगो को भी इसके प्रति जागरूक किया जा रहा है तथा यह भी संदेश लोगो तक पहुचाया जा रहा है कि सफाई का विशेष ध्यान रखे तथा कार्यालय में केवल जरूरी/तिथिबद्ध कार्य के लिए ही उपस्थित हो।

अध्यक्ष महोदय ने बैठक में उपस्थित सभी उपमण्डल अधिकारी (ना0), जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, तहसीलदार, उपतहसीलदार व खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे अपने–2 अधिकार क्षेत्र में विदेशों से आने वाले व्यक्तियों की सूचना सिविल सर्जन यमुनानगर को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

अध्यक्ष महोदय के पूछे जाने पर महाप्रबन्धक, हरियाणा राज्य परिवहन यमुनानगर ने बताया कि बसों की प्रातः अच्छी प्रकार से धुलाई करवाकर स्प्रे करवाया जाता है तथा वापिसी पर पुनः यही कार्यवाही की जाती है। उन्होने यह भी बताया कि दिनांक 31/03/2020 तक चालक प्रशिक्षण भी बंद कर दिया गया है। इस पर अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिये कि जिला में स्थित सभी बस संस्थानों पर मुख्यमंत्री महोदय द्वारा कोरोना वायरस से बचाव सम्बन्धी संदेश को भी चलाना सुनिश्चित करें तथा साफ–सफाई का विशेष ध्यान रखें। इसी प्रकार अध्यक्ष महोदय ने जिला सूचना एवं लोक सम्पर्क अधिकारी की ओर से उपस्थित कर्मचारी को निर्देश दिये कि कोरोना से सम्बन्धित संदेशो को सांझा रेडियो, सिटी केबल व साया चैनल पर भी नियमित रूप से चलवाया जाये । इसके अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय ने यह भी निर्देश दिये कि उनकी ओर से समाचार पत्र में यह छपवाना सुनिश्चित करे कि जिला में स्थित सभी सब्जी मंडी खुली है, इनको बंद करने के कोई भी आदेश जारी नहीं किये गये है तथा ना ही खादय पदार्थो से सम्बन्धित दुकानो को बंद करने के आदेश भी जारी किये गये। जिला उच्चतर शिक्षा अधिकारी ने अध्यक्ष महोदय के पूछे जाने पर बताया कि कालेज में सभी कर्मचारियों के लिए सैनेटाईजेशन उपलब्ध करवा दिये गये है तथा सफाई व्यवस्था भी गर्म पानी में घोल बनाकर की जा रही है। उप–मण्डल अधिकारी (ना0) बिलासपुर ने जिला उच्चतर शिक्षा अधिकारी को सभी कॉलेज होस्टल को खाली करयाने का सुझाव दिया।

Mukul Kumar

Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner

सिविल सर्जन यमुनानगर की ओर से उपस्थित डॉ चारू ने यह सुझाव दिया कि जो व्यक्ति दूसरे राज्यो से आ रहे है उनकी भी जानकारी सिविल सर्जन कार्यालय में उपलब्ध करवाई जाये ताकि आगामी कार्यवाही की जा सके।

जिला खेल एवं युवा कार्यकम अधिकारी यमुनानगर ने बताया कि तेजली स्टेडियम में खिलाडियों की आवाजाही को कम कर दिया गया है। इस पर अध्यक्ष महोदय ने कहा कि तेजली स्टेडियम को दिनांक 31/03/2020 तक बिल्कुल बंद कर दिया जाये।

कार्यकारी अभियंता, लोक निर्माण विभाग यमुनानगर ने अध्यक्ष महोदय को बताया कि सभी कर्मचारियों को आवश्यक दिशा–निर्देश जारी कर दिये गये है तथा जिला में स्थित उनके अधिकार क्षेत्र में पड़ने वाले सभी विश्राम गृहों में सैनेटाईजेशन करवा दी गई है। इसके अतिरिक्त उप–मण्डल अधिकारी ना0 बिलासपुर ने अध्यक्ष महोदय से अनुरोध किया कि संयुक्त निदेशक, जिला उद्योग केन्द्र तथा इण्डस्ट्रीयल एसोसिएशन की एक बैठक बुलाई जाये। अध्यक्ष महोदय ने उपमण्डल अधिकारी(ना0) जगाधरी को निर्देश दिये कि इस बारे उनके साथ अलग से एक बैठक का आयोजन करवाया जाए।

अध्यक्ष महोदय ने उपस्थित अधिकारीगण को निर्देश दिये कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा 22/03/2020 दिन रविवार को जनता कर्फ्यू बारे की गई अपील अनुसार हम सभी रविवार को केवल एक दिन घर पर ही रहे तथा अपने समस्त परिवार को भी घर पर ही रखे। इस बारे अध्यक्ष महोदय ने स्वास्थय विभाग की ओर से उपस्थित अधिकारीगण को निर्देश दिये कि वे इस बारे जनता कर्फ्यू के नाम से एक वट्सएप ग्रुप बनाये जिसमें सभी सम्बन्धित अधिकारियों को शामिल करें तथा सांय 5:00 बजे अपने–2 घर पर ताली या घंटी बजाकर अपनी फोटो वाट्सग्रुप पर सांझा करें। इसके अतिरिक्त उप–मण्डल अधिकारी (ना0) जगाधरी/ बिलासपुर/रादौर को निर्देश दिये कि वे अपने–2 अधिकार क्षेत्र में पड़ने वाले मैरिज पैलेस, मन्दिर व मदरसों के प्रतिनिधियों तथा कीर्तन मण्डलियों से सम्बन्धित व्यक्तियों की एक बैठक बुलाये तथा कोरोना वायरस के खत्तरे के प्रति जागरूक करें तथा यह सुनिश्चित करवाये कि इन स्थानों पर ज्यादा भीड़ एकत्रित ना हो।

अंत में अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिये कि सभी अधिकारीगण अपने–2 विभाग के दूरभाष/मोबाईल न0, ईमेल आई0डी0 अधिकारी/कर्मचारी का नाम जो अपने विभाग से सम्बन्धित समस्त जानकारी रखता हो कि सूचना मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंचाना सुनिश्चित करें तथा जिला सूचना एवं लोक सम्पर्क अधिकारी एक प्रैस नोट के माध्यम से आम जन को सूचित करें कि वे कोरोना वायरस के खतरे के मध्यनजर अति आवश्यक कार्य के सम्बन्ध में ही सम्बन्धित कार्यालय में उपस्थित हो अन्यथा दूरभाष/मोबाईल न0/ई–मेल के माध्यम से अपनी समस्या/कार्य के सम्बन्ध में बताये ताकि उनके कार्य का निपटान किया जा सके।

Mukul Kumar

उपायुक्त, यमुनानगर।

पृ0 कमांक 1326 /एम0ए0 दिनांक 20-03-2020

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. अतिरिक्त उपायुक्त, यमुनानगर।
2. आयुक्त, नगर निगम यमुनानगर–जगाधरी।
3. पुलिस अधीक्षक यमुनानगर।
4. उप–मण्डल अधिकारी (ना0) जगाधरी/बिलासपुर/रादौर।
5. जिला राजस्व अधिकारी यमुनानगर।
6. जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी यमुनानगर।
7. जिला के सभी तहसीलदार/नायब तहसीलदार।
8. जिला के सभी खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी।
9. जिला के सभी विभागाध्यक्ष।

Mukul Kumar

उपायुक्त, यमुनानगर।

Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner